फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2014

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो तेरसिंह बघेल वित्त सेवा वर्तमान धारित पद जिला पेंशन अधिकारी बड़वानी

3. वर्तमान वेतन 59,078 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2015

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***क्रय, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. आलोदा, अम्बाड़ा कुक्षी धार म.प्र.	गृह भवन	5 बीघा कृषि भूमि	15 लाख (लगभग)	श्री मांगीलाल पिताजी	विरासत	75,000/-	–
2. बाग तह. कुक्षी जि. धार म.प्र.	–	30x50 sqf. आवासीय प्लाट	3 लाख (लगभग)	स्वयं	60 हजार रु. क्रय दि. 24.07.2009	–	–
3. आम्रपाली गार्डन सिटी राऊ पिगमपुर रोड सोनगांव तह. महू जि. इन्दौर म.प्र.	–	30x50 sqf. आवासीय प्लाट	16 लाख (लगभग)	स्वयं	छठे वेतनमान एरियर्स/ परिवीक्षाधीन एरियर्स से LICHFL से लोन बचत एवं रिश्तेदार से लोन 06.06.2014 (लगभग)	–	–

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

*** इसमें अल्पावधि पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दे।

[illegible]—16-1-13—20,000.

हस्ताक्षर 31.1.15
नाम तेरसिंह बघेल
पद जिला पेंशन अधिकारी
विभाग वित्त विभाग